

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2004/टेली/डब्ल्यूएल/2/मिस.

नई दिल्ली, दिनांक 16.05.2013  
30

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें।

टेलीकॉम परिपत्र सं. 15/2013

विषय: ट्रैक मशीन ऑपरेटर के वीएचएफ सेट (वॉकी-टॉकी) की फ्रिक्वेन्सी का आबंटन।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 03.09.2012 का समसंख्यक पत्र।

बोर्ड (सदस्य बिजली, सदस्य इंजीनियरी एवं सदस्य यातायात) द्वारा सहायक स्टेशन मास्टर-ड्राइवर-गार्ड फ्रिक्वेन्सी पर वॉकी-टॉकी सेटों का प्रावधान करने के मुद्दे पर विचार किया गया है।

यह अनुमोदित किया गया है कि ट्रैक मशीन ऑपरेटर ट्रैक मशीन को ऑपरेट/ड्राइव करते समय ड्राइवर-गार्ड फ्रिक्वेन्सी (161.15 मेगा हर्टज) वीएचएफ सेटों का उपयोग कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए ड्राइवर-गार्ड फ्रिक्वेन्सी पर एक वीएचएफ सेट ट्रैक मशीन के एसएसई/जेई इंचार्ज को उपलब्ध कराया जाए।



(राकेश रंजन)

निदेशक (दूरसंचार)

रेलवे बोर्ड

o/c

दूरभाष: 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690

ई मेल: [dtele@rb.railnet.gov.in](mailto:dtele@rb.railnet.gov.in)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- सीएसटीई/सभी भारतीय रेलें।
- कार्यपालक निदेशक ट्रेक (एमसी), कार्यपालक निदेशक/संरक्षा को सूचनार्थ।

Tele Mangal SK

